Drishti IAS

करेंट अफ़ेयर्स

झारखण्ड

(संग्रह)

फरवरी 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख लोगों को मिलेगा आवास का लाभ 3
- उधवा झील 5
- सरना कोड 6
- झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति 7
- राँची फार्म में एवियन फ्लू का प्रकोप 8
- पलामू टाइगर रिज़र्व 10
- मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा 11
- झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा 12

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

झारखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख लोगों को मिलेगा आवास का लाभ

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब **झारखंड** के लोगों को अपना घर मिलने जा रहा है।

- शुरुआत में **केंद्र सरकार ने प्रारंभ में राज्य में 1.13 लाख बेघर लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की थी,** लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर **4,19,947** कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):**
  - **परिचय:**
    - यह देश में **गरीब और निम्न आय वर्ग** को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
    - यह योजना **वर्ष 2015 में आरंभ** की गई थी, जिसका **प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022** तक सभी **लोगों को आवास** प्रदान करना है।
    - हालाँकि, सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में **"सभी के लिये आवास" सुनिश्चित करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी।**
    - **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत सरकार ने देश भर में लाखों नये घर बनाने की योजना बनाई है।
    - यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये महत्त्वपूर्ण रही है, क्योंकि कई लोगों के पास अपना घर नहीं था।
    - यह विशेष रूप से अस्थायी आश्रयों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिये लाभदायक है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ:**
    - **किफायती ऋण:** PMAY के तहत गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिये किफायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के नाम से जाना जाता है।
    - **इसके तहत 2.5 लाख रुपए** तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने के लिये ऋण पर ब्याज दर में कमी आती है।
    - **महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST)** और **अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) को** प्राथमिकता दी जाती है।
    - **सब्सिडी:** यह योजना नकद सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो **घरों के निर्माण, मरम्मत** या नवीनीकरण के लिये उपयोगी होती है।
    - प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग योजनाएँ हैं।
    - **ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने या सुधारने के लिये 1.2 लाख रुपए** तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में **2.67 लाख रुपए** तक की सब्सिडी दी जाती है।
    - **मकानों की गुणवत्ता और डिज़ाइन:** PMAY के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इन घरों को स्थायी और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, घरों का डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है कि वे सभी मौसम की स्थिति के अनुकूल हों और परिवार के सभी सदस्यों के लिये आरामदायक हों।

ऋण लिंक्ड सब्सिडी:

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), **निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG-I और MIG-II)** के लोग घर खरीदने या बनाने के लिये क्रमश: 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर **6.5%, 4%** और **3%** की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

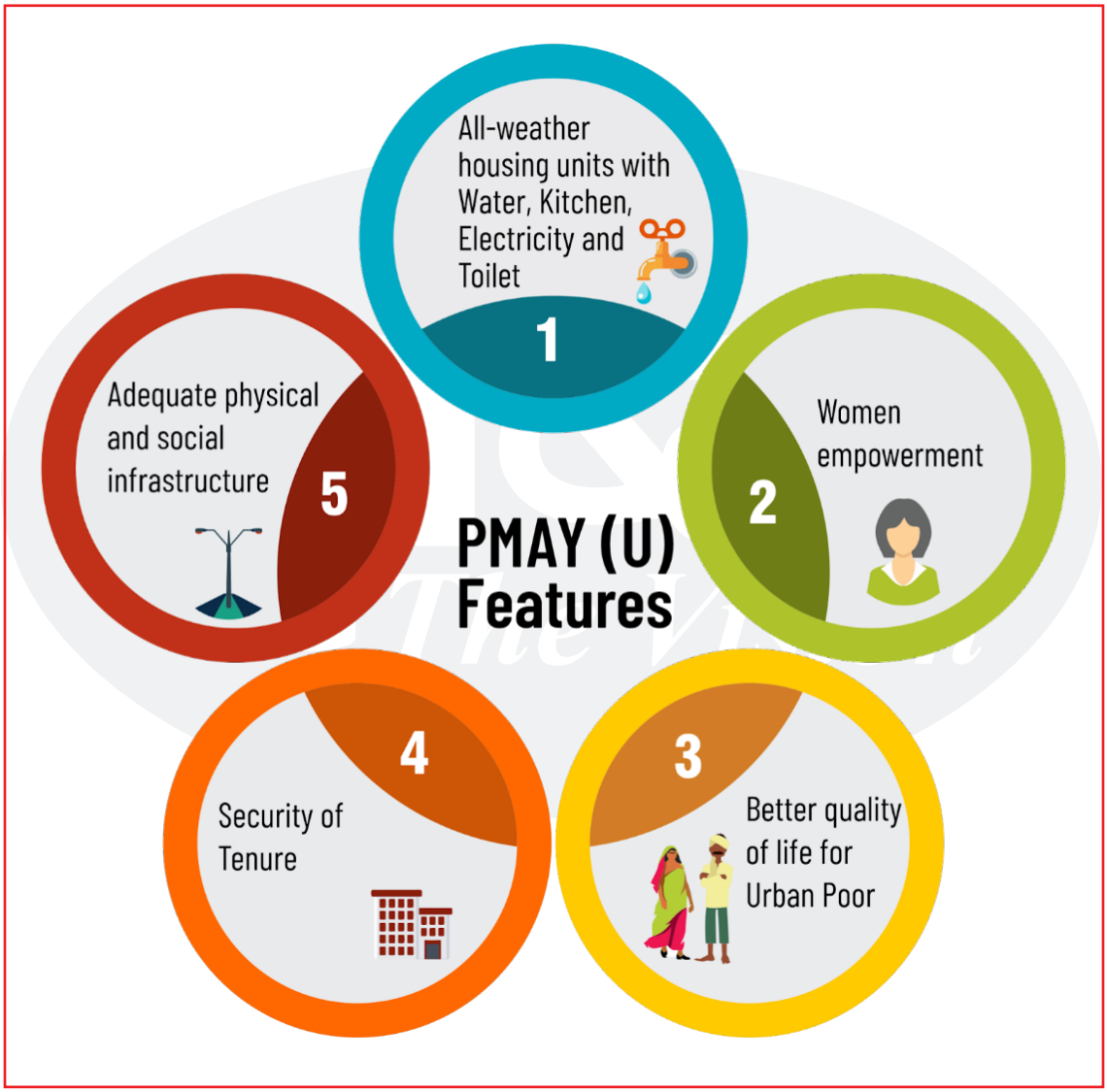

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उधवा झील

चर्चा में क्यों ?

रामसर अभिसमय ने भारत में चार नए आर्द्रभूमियों को मान्यता प्रदान की है, जिससे देश में ऐसे नामित स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 89 हो गई है।

मुख्य बिंदु

- **रामसर सूची में नए नाम शामिल:**
  - सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
  - थेरथंगल/ तीर्थंगल/ Therthangal पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
  - खेचेओपलरी वेटलैंड (सिक्किम)
  - उधवा झील (झारखंड)
- **राज्यवार वितरण:**
  - **तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं,** जहाँ 20 आर्द्रभूमियाँ हैं।
  - **सिक्किम और झारखंड** अपने नए पदनाम के साथ **पहली बार रामसर सूची में शामिल हुए हैं।**
- **भारत की वैश्विक रैंकिंग:**
  - भारत में **एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं** और **विश्व स्तर पर इसका स्थान तीसरा है:**
    - **यूनाइटेड किंगडम** (176 स्थल/ साइट्स)
    - **मेक्सिको** (144 स्थल/ साइट्स)
    - पिछले दशक में, भारत के रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 89 हो गई तथा मात्र तीन वर्षों में 47 स्थल इसमें जोड़े गए।
- **आर्द्रभूमि का महत्त्व:**
  - आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अस्थायी, मौसमी या स्थायी रूप से जल से आवृत रहते हैं।
  - वे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - बाढ़ नियंत्रण
    - जलापूर्ति
    - जैव विविधता समर्थन
    - भोजन, फाइबर और कच्चे माल के स्रोत
- **उधवा झील:**
  - **स्थान:**
    - **यह झारखंड के साहेबगंज ज़िले** में स्थित है।
    - यह **उधवा नामक एक छोटे से गाँव में स्थित है, जिसका नाम** महाभारत **में भगवान कृष्ण के मित्र संत उद्धव** के नाम पर रखा गया है।
    - यह झारखंड की **पहली रामसर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्थापना:**
  - **वर्ष 1991** में इस अभयारण्य की स्थापना **इस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये की गई थी।**
  - **झारखंड में एकमात्र पक्षी अभयारण्य** के रूप में नामित यह **अभयारण्य क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को संरक्षित करने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **नदियाँ:**
  - अभयारण्य में **दो जल निकाय हैं- पटौरन और बरहेल,** जो एक जल चैनल द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। पटौरन तुलनात्मक रूप से एक स्वच्छ जल निकाय है।

रामसर अभिसमय

- **रामसर अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में** UNESCO के तत्वावधान में हस्ताक्षर किये गये थे, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है।
  - भारत में यह **अधिनियम 1 फरवरी, 1982 को लागू हुआ,** जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया।
- **मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड** अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के **उन आर्द्रभूमि स्थलों** का रजिस्टर है, जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप **पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।**
  - इसे **रामसर सूची के भाग के रूप में रखा गया है।**

सरना कोड

चर्चा में क्यों ?

झारखंड स्थित **राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति ने देशभर के** अनुसूचित जनजाति संघों से आगामी जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु

- **जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन:**
  - राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति 28 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर **पर एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी,** जिसमें जनगणना में **अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिये एक अलग धर्म कॉलम की मांग** की जाएगी।
  - विरोध का आह्वान **केंद्रीय सरना समिति** सहित अन्य आदिवासी **समूहों के बीच भी प्रसारित किया गया है,** जिन्होंने अलग सरना धर्म कोड की मांग पर ज़ोर दिया है।
    - **मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल** के आदिवासी संगठन दशकों से जनगणना में धर्म के लिये अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं।
- **2011 की जनगणना में आंदोलन का प्रभाव:**
  - 2011 की जनगणना में इस आंदोलन के कारण 4.9 लाख लोगों ने 'अन्य' कॉलम में अपना **धर्म** सरना अंकित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इनमें से 80% से अधिक उत्तरदाता झारखंड से थे, जिससे इस मांग के प्रति प्रबल क्षेत्रीय समर्थन उजागर होता है।
  - वर्ष 2011 के पश्चात, विशेष रूप से पूर्वी और मध्य भारत में आदिवासी समुदायों की बढ़ती एकजुटता के साथ, अलग सरना धर्म कोड की मांग ने महत्त्वपूर्ण रूप से गति प्राप्त की है।

सरना धर्म

- **परिचय:**
  - सरना धर्म **एक प्रकृति-पूजक विश्वास है,** जिसे भारत के कई जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाया गया है। इसे **सरना धर्म या पवित्र वनों का धर्म भी** कहा जाता है।
  - **वे मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम** जैसे आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- **सरना धर्म की विशेषताएँ:**
  - वे **जल, वन और ज़मीन सहित प्रकृति की पूजा** करते हैं।
  - वे वनों की रक्षा में विश्वास रखते हैं और पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। वे **मूर्तियों की पूजा नहीं करते।**
  - **वे वर्ण व्यवस्था** का पालन नहीं करते हैं।
  - वे **सरहुल त्योहार मनाते हैं,** जो **नए साल का त्योहार है।**

झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

झारखंड में जल जीवन मिशन (JJM) **आठ जिलों** में बाधित हो गया है, जिससे हज़ारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- JJM के तहत 'हर घर नल जल' योजना, **जिसका** उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, पिछले दो महीनों से पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा में रुकी हुई है।
- इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण **केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न करना है,** जिसके कारण ठेकेदारों को बकाया भुगतान न होने के कारण काम बंद करना पड़ रहा है।
  - झारखंड सरकार ने मिशन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और इसमें तेज़ी लाने के लिये केंद्र सरकार से **6,324 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया है।**
- **वर्ष 2019** में **शुरू किये गए** जल जीवन मिशन **ने** दिसंबर 2024 तक झारखंड में **62,55,717 घरों** में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  - हालाँकि, अब तक केवल **34,19,100 घरों को ही** कनेक्शन मिले हैं, जो लक्ष्य का केवल **54.66% ही है।**
- यह आँकड़ा **राष्ट्रीय औसत 79.79% से काफी नीचे है,** जिससे लगभग **45%** घरों को स्वच्छ पेयजल **उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।**
- झारखंड सरकार अब केंद्रीय प्राधिकारियों से आग्रह कर रही है कि मिशन को पुनर्जीवित करने के लिये **लंबित धनराशि शीघ्र जारी की जाए।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जल जीवन मिशन (JJM)

- **शुरुआत:**
  - **वर्ष 2019** में शुरू की गई इस योजना में वर्ष 2024 तक **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन** (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की** आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, जिसे **बजट 2025-26** में 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
    - यह मिशन **जल शक्ति मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।
- **उद्देश्य:**
  - यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि को सुनिश्चित करता है।
  - यह संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत संवर्धन, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, **ग्रे जल उपचार** और इसका पुन: उपयोग भी सुनिश्चित करता है।
- **विशेषताएँ:**
  - JJM स्थानीय स्तर पर **जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - अनिवार्य तत्त्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों के लिये स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण, जैसे **वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन,** अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  - यह मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसमें व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार को मिशन के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- **कार्यान्वयन:**
  - **जल समितियाँ** गाँव की जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, प्रबंधन करती हैं, संचालन करती हैं और रखरखाव करती हैं।
  - इनमें **10-15 सदस्य होते हैं,** जिनमें **कम से कम 50% महिला सदस्य और स्वयं सहायता समूह, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी शिक्षक** आदि से अन्य सदस्य होते हैं।
  - समितियाँ गाँव के सभी उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर एक **बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं।** क्रियान्वयन से पहले योजना को **ग्रामसभा में मंजूरी दी जाती है।**
- **वित्तपोषण पैटर्न:**
  - केंद्र और राज्यों के बीच निधि बँटवारे का पैटर्न हिमालयी और **पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10,** अन्य राज्यों के लिये 50:50 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **100% है।**

राँची फार्म में एवियन फ्लू का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **राँची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय** (BAU) के एक **पोल्ट्री फार्म** में **एवियन फ्लू का मामला** पाए जाने के बाद **अधिकारियों ने कुल 325 पक्षियों को मार डाला।** उन्होंने **पूरे प्रभावित क्षेत्र को भी सैनिटाइज किया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

- **रोकथाम के उपाय:**
  - अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक **स्थानीय घटना है, जो गिनी फाउल्स को** प्रभावित कर रही है, जिन्हें फार्म में अनुसंधान के उद्देश्य से रखा गया था।
  - अधिकारी प्रकोप के **एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करेंगे और उन्हें अधिसूचित करेंगे।**
  - 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्थान निगरानी में रहेंगे।
- **H5N1 का पता लगाना:**
  - **पशु चिकित्सा महाविद्यालय** स्थित फार्म में पिछले 20 दिनों में लगभग 150 गिनी मुर्गियाँ मर गईं।
  - ICAR -राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल ने नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा ए वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की।
- **केंद्र सरकार के निर्देश:**
  - केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय **ने** राज्य को रोकथाम उपायों को लागू करने के निर्देश दिये, जिनमें शामिल हैं:
    - संक्रमित और निगरानी क्षेत्रों की घोषणा
    - प्रभावित परिसर तक पहुँच प्रतिबंधित करना
    - आगे प्रसार को रोकने के लिये पक्षियों को मारना
- **राज्य सरकार का जवाब:**
  - राज्य पशुपालन विभाग ने एक सलाह और **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की:**
    - प्रभावित क्षेत्र में **पक्षियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाना।**
    - **एक नियंत्रण कक्ष** स्थापित किया जा रहा है, जो शीघ्र ही चालू हो जाएगा।

एवियन इन्फ्लूएंजा

- एवियन इन्फ्लूएंजा, जिसे अक्सर **बर्ड फ्लू** के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से **पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है।**
- वर्ष 1996 में, दक्षिणी चीन में घरेलू जलपक्षियों में अत्यधिक **रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा H5N1 वायरस की पहली बार पहचान की गई थी। इस वायरस का नाम A/goose/Guangdong/1/1996 रखा गया है।**

मनुष्यों में संक्रमण और संबंधित लक्षण:

- **H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा** के मानव मामले कभी-कभी होते हैं। संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जब लोग संक्रमित होते हैं, तो **मृत्यु दर लगभग 60% होती है।**
  - इसमें **बुखार, खाँसी और मांसपेशियों में दर्द** जैसे **हल्के फ्लू जैसे लक्षणों से लेकर निमोनिया** जैसी गंभीर श्वसन समस्याएँ, **साँस लेने में कठिनाई और यहाँ तक कि** मानसिक स्थिति में बदलाव और दौरे जैसी संज्ञानात्मक समस्याएँ भी हो सकती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- इसकी **स्थापना 16 जुलाई 1929 को** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय **के** कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन है।**
- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली में है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पलामू टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के अधिकारी पलामू टाइगर रिज़र्व **(PTR)** के बाघ को वापस ला रहे हैं, जो झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भटक गया था।

मुख्य बिंदु

- **स्थानांतरण का प्रस्ताव:**
  - PTR अधिकारियों ने बाघ को स्थानांतरित करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेज **दिया है।**
  - मंजूरी मिलने पर बाघ को बेहोश कर PTR क्षेत्र में वापस लाया जाएगा।
  - स्थानांतरण प्रक्रिया की देखरेख के लिये दिल्ली स्थित वन्यजीव संस्थान की एक टीम मौजूद रहेगी।
- **गाँवों के लिये खतरा:**
  - PTR छोड़ने के बाद से बाघ ने मवेशियों का शिकार करके **जमशेदपुर और पुरुलिया में ग्रामीणों को आतंकित कर दिया है।**
  - बाघ की मौजूदगी से **दलमा वन्यजीव अभयारण्य** के आसपास के 86 **गाँवों** के निवासियों में भय व्याप्त हो गया है।
- **चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:**
  - यह बाघ फिलहाल दलमा वन्यजीव अभयारण्य में फँसा हुआ है **और भूख से मर रहा है तथा जंगल में रास्ता खोजने के लिये संघर्ष कर रहा है।**
  - क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और घनी मानव आबादी स्थिति को और अधिक जटिल बना देती है।
  - विशेषज्ञों को डर है कि लंबे समय तक एकांतवास और भोजन की कमी के कारण बाघ अवसादग्रस्त हो सकता है, जिसके कारण वन विभाग को उसके स्वास्थ्य के लिये कदम उठाने होंगे।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- NTCA **पर्यावरण, वन और** जलवायु परिवर्तन **मंत्रालय** के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय **है।**
- **इसकी स्थापना वर्ष** 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- **इसका गठन** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया) के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मज़बूत करने के लिये, इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार किया गया था।

दलमा वन्यजीव अभयारण्य

- **जमशेदपुर** में स्थित **दलमा वन्यजीव अभयारण्य (आश्रय) हाथियों** के लिये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में **भौंकने वाले हिरण, सुस्त भालू** और **विभिन्न** सरीसृप **प्रजातियाँ उल्लेखनीय हैं।**
- 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह वन्यजीव अभयारण्य सुवर्णरेखा नदी **के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।**
- यहाँ मुख्य रूप से शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन हैं, जिनमें कुछ शुष्क प्रायद्वीपीय साल भी हैं। यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में **टर्मिनलिया, जामुन, धौरा, केंदू, करम आदि शामिल हैं।**
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 **के तहत अधिसूचित किया गया है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR)

- पलामू टाइगर रिज़र्व की स्थापना वर्ष 1974 में **प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।**
- यह विश्व का **पहला ऐसा अभयारण्य है, जहाँ पदचिह्नों के आधार पर बाघों की गणना की गई।**
- '**बेतला राष्ट्रीय उद्यान**' **झारखंड के लातेहार ज़िले** में 1130 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैले पलामू टाइगर रिज़र्व के भीतर 226.32 वर्ग किलोमीटर में स्थित है।

मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली और झारखंड में **मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा** के लिये एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व किया।

मुख्य बिंदु

- **प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा:**
  - बैठक में **17 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित 21 मुद्दों की समीक्षा की गई**, जिनमें **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय** के अंतर्गत 9 परियोजनाएँ शामिल थीं।
  - सभी परियोजनाओं की कुल लागत 13,501 करोड़ रुपए से अधिक हो गई।
  - **वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना**, जिसकी कीमत 9,623.72 करोड़ रुपए है, मुख्य फोकस थी। इस परियोजना में छह पैकेजों में सात मुद्दे शामिल थे।
- **रणनीतिक स्थानों पर नए एनआईटी पर ध्यान केंद्रित:**
  - बैठक में रणनीतिक स्थानों पर नए **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) स्थापित करने की सरकार की योजना पर ज़ोर दिया गया।**
  - इन NIT का उद्देश्य **तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना** तथा कुशल इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
  - शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा, ये संस्थान नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति देंगे।
- **वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना:**
  - यह एक्सप्रेसवे **भारत माला योजना** के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी।
  - इससे व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उन उद्योगों को लाभ होगा जो समुद्री व्यापार के लिये कोलकाता और **हल्दिया बंदरगाहों** पर निर्भर हैं।
- **कुशल परियोजना निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता:**
  - **सचिव ने परियोजना निगरानी के लिये संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करने** के लिये सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
  - उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजना मुद्दों के समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उन्होंने निजी समर्थकों से परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिये **परियोजना निगरानी समूह (PMG) तंत्र (PMG पोर्टल) का उपयोग करने का आग्रह किया।**
- PMG तंत्र केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करता है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

- **स्थापना:**
  - उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की **स्थापना वर्ष 1995** में की गई थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसमें मिला दिया गया।
  - यह **अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया,** जब पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का **नाम बदलकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया।**
- **उद्देश्य:**
  - यह विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रोत्साहन एवं विकासात्मक उपायों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।
  - यह देश में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- यह भारत सरकार के **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि की सजावट और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर **हिंदू और मुस्लिम समुदायों में झड़प हो गई।**

- हिंसक झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने पथराव किया, कई दुकानों और वाहनों को आग लगा दी।

मुख्य बिंदु

- **हज़ारीबाग में सांप्रदायिक झड़प:**
  - यह झड़प डुमरोआं गाँव में हुई। जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिये हज़ारीबाग सदर अस्पताल ले जाया गया।
  - पुलिस के अनुसार, मुसलमानों ने हिंदुस्तान चौक पर **महाशिवरात्रि के झंडे लगाने और ध्वनि प्रणाली लगाने का विरोध किया।**
  - **दोनों समुदायों के बीच बहस बढ़ गई और निकटवर्ती मदरसे** से पथराव शुरू हो गया।
    - जवाबी कार्रवाई में हिंदुओं ने भी विरोधी पक्ष पर पत्थर फेंके।
- **आधिकारिक वक्तव्य:**
  - अधिकारियों ने **लोगों से शांति बनाए रखने** और भाईचारे के साथ महाशिवरात्रि मनाने का आग्रह किया।
  - उन्होंने आश्वासन दिया कि घटनास्थल पर पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है तथा **ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सांप्रदायिक हिंसा

- भारतीय दंड संहिता (IPC) सांप्रदायिक हिंसा **को** किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो **धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा** आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है और सद्भाव बनाए रखने के लिये प्रतिकूल कार्य करता है।
- **सांप्रदायिक हिंसा पर BNS प्रावधान:**
  - भारतीय न्याय संहिता **की धारा 196** का उद्देश्य विभिन्न आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच **दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को रोकना और दंडित करना है।**
  - यह ऐसे कृत्यों के लिये कारावास और जुर्माने का प्रावधान करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेषकर जब ये कृत्य पूजा स्थलों या धार्मिक समारोहों के दौरान होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :